पत्रांक : 14/आ0नी0–04–07/2018 का0....9226.../

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

ए0 के0 सत्यजीत,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 19/12/18

विषय :– आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–4553, दिनांक–23.07.2008 द्वारा यह संसूचित किया गया था कि राज्य स्तरीय सेवाओं/सवंर्गों के वेतनमान रूपये 2000–3000/– (अपुनरीक्षित), वेतनमान 6500–10500/– (पुनरीक्षित) एवं इससे उपर के वेतनमान वाले पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति में आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस का कार्य कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा किया जाता है।

इसके उपरांत दिनांक–01.01.2006 से षष्ट्म पुनरीक्षित वेतनमान तथा दिनांक–01.01.2016 से सप्तम् पुनरीक्षित वेतनमान राज्य सरकार के कर्मियों के लिए लागू किया गया है। फलस्वरूप पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन स्तर आधारित रोस्टर क्लियरेंस के लिए सक्षम स्तर का निर्धारण किए जाने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था।

उक्त मामले पर भली भाँति विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि विभागीय पत्रांक–4553, दिनांक–23.07.2008 को संशोधित करते हुए षष्ट्म पुनरीक्षित वेतनमान के ग्रेड पे0–4800/– से नीचे के पदों की नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु रोस्टर क्लियरेंस विभागीय प्रधान सचिव/सचिव द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार सप्तम् पुनरीक्षित वेतनमान में पूर्व के ग्रेड पे0 4800/– को ही वेतन स्तर–8 माना जाएगा। तद्नुसार नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु वेतन स्तर–8 से नीचे के पदों पर विभागीय प्रधान सचिव/सचिव द्वारा रोस्टर क्लियरेंस किया जाएगा। वेतन स्तर–8 एवं उसके ऊपर के वेतनमान वाले पदों पर नियुक्ति/प्रोन्नति में आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा किया जाएगा।

विभागीय संकल्प सं0–5162, दिनांक–25.09.2008 के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित 14% आरक्षण को विभाजित कर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) करते हुए क्रमशः 8% एवं 6% आरक्षण निर्धारित किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में विभागीय पत्रांक–4553, दिनांक–23.07.2008 की कंडिका 1(क)(3) संशोधित समझे जाएंगे।

विश्वासभाजन

(ए0 के0 सत्यजीत)
सरकार के संयुक्त सचिव।

E:\chandan\letter 2018.docx